न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A/6

पीठासीन अधिकारी— अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
167 / प्रा0पत्र / 17	13.04.2017	19.02.2021

सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली

—प्रार्थी

बनाम

1. रूपनारायण आ0 मांग्या जाति रेगर निवासी सूहरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. नाहनी पुत्री मांग्या जाति रेगर निवासी सूहरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. लहन्दी बेवा मांग्या जाति रेगर निवासी सूहरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

—अप्रार्थी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से — श्री पदम कासलीवाल एड0
अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व—एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार हिण्डोली ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी मांग्या को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 15 / 646 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सूहरी तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1976 से की गई थी जो वर्तमान में आवंटी मांग्या के वारिसान के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 22.11.2017 को उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने अवगत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटी मांग्या एवं उसके वारिसों का कब्जाकाश्त नहीं रहा है। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जाकाश्त है। आवंटी मृतक मांग्या द्वारा भूमि का अवैध बेचान कर रखा है। गैर खातेदारी भूमि को अन्य को विक्रय करने का अधिकार आवंटी को नहीं है। अतः अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 15 / 646 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सूहरी तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1976 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
बूंदी (राज0)

A 6/2

...ल अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन ...का उल्लंघन नहीं किया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है। ...प्रार्थीगण के पिता को उक्त भूमि का आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा भूमि का कोई बेचान नही किया गया है। बेचान नामा स्टाम्प पर लिखा गया है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने बहस पेरोकार सरकार पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से आवंटित भूमि पर अप्रार्थी मृतक मांग्या एवं उसके वारिसों का कब्जाकाश्त होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह भी जाहिर आया है कि आवंटी मृतक मांग्या द्वारा एक बेचान पत्र आवंटित भूमि के संबंध में लिखा गया है जिसका आवंटी को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नहीं है। पटवारी रिपोर्ट एवं मौका पर्चा पंचनामा से भी आवंटी मृतक मांग्या एवं उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा होना सिद्व नहीं होता है। अप्रार्थी मृतक मांग्या एवं उसके वारिसान द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तो की पालना भी नहीं की गई है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आंवटी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 15/646 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सूहरी तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1976 को एतद द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर,
बून्दी (सू०)